।। अर्हम् ।।

आचार्यश्री महाप्रज्ञ प्रवास व्यवस्था समिति

श्रीडूँगरगढ़ - 331803

जिला - बीकानेर (राज.)

दूरभाश : 01565 -224600,224900 - फेक्स

e-mail id : jstsdgh01565@gmail.com

वर्तमान पद्धति से हो समस्याओं का अध्ययन - आचार्य महाप्रज्ञ

-तुलसीराम चौरड़िया (मीडिया प्रभारी)-

श्रीडूँगरगढ़ 24 दिसम्बर : आचार्य महाप्रज्ञ ने आज स्थानीय तेरापंथ भवन स्थित प्रज्ञासमवसरण में तेरापंथ की सर्वोच्च नीति नियामक संस्था विकास परिशद् व अमृत संसद के पन्द्रहवें वार्शिक अधिवे-ान के :ुभारम्भ अवसर पर कहा कि संस्थाओं में होने वाले चुनाव समस्या के केन्द्र है। लोकतंत्र में चुनाव मान्य है। वृहद क्षेत्र में इसका उपयोग होता है तो उस पर ध्यान न देकर धर्म से जुड़े सभी संगठनों में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए, जो धर्म राग-द्वेश को मिटाने वाला है उस जगह पर रागद्वेश को बढ़ावा मिले, यह उचित नहीं है । चुनाव राग-द्वेश को बढ़ाने में योगभुत बनते है। इसलिए इस प्रक्रिया की जगह नियुक्ति की परम्परा प्रारंभ होनी चाहिए। आज तेरापंथ जिस निर्विवाद रूप से विकास कर रहा है उसके पीछे आचार्य नियुक्ति की सुन्दर व्यवस्था है अगर वर्तमान आचार्य के पास भावी व्यवस्था करने का अधिकार नहीं होता तो तेरापंथ इतना संगठित एवं विकास कर पाता इसमे ं संदेह है।

आचार्य महाप्रज्ञ ने अमृत सांसदों को आयोजन, भोज, विवाह आदि में होने वाले आडम्बर एवं तलाक, दहेज, पारिवारिक वैमनस्य आदि समस्याओं पर गहन चिन्तन करने का निर्दे-ा देते हुए कहा कि समाज की इन समस्याओं को गहराई से समझने की जरुरत है। अमृत सांसद में पचास लोग ऐसे होने चाहिए जो वर्तमान पद्धति के द्वारा समस्याओं का अध्ययन करें और उसका सर्वमान्य हल निकालने में मनोवैज्ञानिक तरीका अपनायें। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा कि तेरापंथ विकास परिशद् धर्मसंघ की नीतिनियामक संस्था है इसके द्वारा बनाये गये नियमों की अवहेलना जिस संस्था के द्वारा हो, वह तेरापंथ धर्मसंघ एवं समाज से जुड़ी संस्था रहने का अधिकार खो देती है। धर्मसंघ से जुड़ी संस्था एवं उसकी प्रत्येक इकाई को अनिवार्य रूप से विकास परिशद् द्वारा निर्धारित नीति का पालन करना चाहिए ।

युवाचार्य महाश्रमण ने कहा कि तेरापंथ विकास परिशद् चिन्तन-मंथन एवं निर्णय को प्रस्तावित करने वाली संस्था है। इसके चार दिवसीय इस अधिवे-ान की समाप्ति पर निर्णयात्मक घोशणा पत्र जारी होना चाहिए। इससे अधिवे-ान की सार्थकता दृश्टिगोचर होगी।

युवाचार्य महाश्रमण न े परम श्रद्धेय, परम आराध्य आदि सम्बोधनों का प्रयोग केवल आचार्य के लिए हो ऐसा इंगित करते हुए कहा हमारे साधु-साध्वियों की वृहद गोश्ठी में यह निर्णय दिया गया है कि जिस सम्बोधन से परम :ाब्द जुड़ा हो वह सम्बोधन केवल आचार्यवर के लिए ही इस्तेमाल किया जाये । ऐसे सम्बोधन युवाचार्य आदि के लिए भी प्रयोग में न लिया जाये।

साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा ने कहा कि अमृत सांसद अपनी अर्हताओं, क्षमताओं का विकास करने के साथ लक्ष्य पर ही चिन्तन करें। लक्ष्य की विस्मृति एवं विकेन्द्रीकरण होने पर कार्य को सम्यक् रुप से सम्पादित नहीं किया जा सकेगा। उन्होनें कहा कि चिन्तन को क्रियान्वित करने के लिए प्रबल वि-वास, मजबूत आस्था आव-यक है।

विकास परिशद् के राश्ट्रीय संयोजक लालचंद सिंघी ने अमृत सांसद मनोनयन प्रक्रिया पर प्रका-ा डालते हुए कहा कि दस सभाओं के एक क्षेत्र से केन्द्र की दृश्टि के अनुसार एक प्रतिनिधी सांसद नियुक्त किया जाता है। इस तरह से सम्पूर्ण भारत में एक सौ तीन संसदीय क्षेत्र है इसके साथ केन्द्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी भी अमृत सांसद के तौर पर मनोनित होते है। अमृत सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से धर्मसंघ का सर्वोच्च प्रतिनिधी होता है। कार्यक्रम का संचालन विकास परिशद् के महामंत्री डालमचंद बैद ने किया।

सादर प्रका-ानार्थ : -

श्री प्रमोद जी घोड़ावत

सम्पादक , तेरापंथ टाईम्स **मीडिया प्रभारी/सहप्रभारी**

दिल्ली